Vol. 2 No 1

BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

1945

1

OFFICIAL REPORT.

WEDNESDAY, THE 30 TH AUGUST, 1950.

SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING
BIHAR, PATNA.

बिहार विधान-सभा-वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ३१ अगस्त; १९५०

भारत के संविधान के अनुबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन राँची के सभा बेशय में बृहस्पतिवार तिथि ३१ अगस्त, १९५० को ११ बजे सुबह में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

गत सत्र से लंबित प्रश्नों के उत्तर

माननी श्री डा० अनुग्रह नारायण सिंह:— मैं गत सत्र से लंबित १९१ प्रश्नों में से ६१ प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूँ।

सरकारी नौकरी में हरिजनों का स्थान।

१।, श्री *शिवनन्दन राय:*— क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि नौकरियों में हरिजनों के लिये जगह सुरक्षित रहने पर भी यह देखा गया है कि हरिजनों को उनके आबादी के अनुपात से नौकरी नहीं मिलती;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' में है तो जो अफसर सरकार के आदेश का, बहाली करने के समय अवहेलना करते हैं उनके विरुद्ध कौनसी कार्रवाई की जानी है, यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डा०- श्री कृष्णसिंह:—

(क) सरकार ने नियुक्ति-प्राधिकारियों के लिये समय समय पर अनुदेश दिए हैं कि वे इसका ध्यान रखें कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार अपनी जनसंख्या के प्रतिशत भाग के अनुसार १२ % रिक्तियों में नियुक्त किए जाते हैं। सरकार के यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

(ख) सरकार कृतज्ञ होगी, यदि माननीय सदस्य अफसरों द्वारा आदेशों की अवहेलना के विशिष्ट उदाहरण उसके सामने रखें।

राजनीतिक पीड़ित, जो सब-डिप्टी या डिप्टी मजिस्ट्रेट बहाल हुए।

श्री देवशरण सिंह:— क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) कितने राजनीतिक पीड़ितों ने डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब डिपुटी मजिस्ट्रेट के ओहदे के लिये सन् १९४५ ई० से लेकर सन् १९४९ ई० के दिसम्बर मास तक आवेदन-पत्र दिये;

PRODUCTION OF ALCOHOL AT HATHUA & PACHRUKHI.

* 19. SHRI JHULAN SINHA :— Will the Hon'ble Excise Minister be pleased to state —

(a) what are the comparative figures of production of alcohol factories at Hathua (S. K. G.) and Pachrukhi,

(b) what are the comparative areas of lands a quired by the S K.G. Hathua Alcohol Factory and that proposed to be acquired by the Pachrukhi Alcohol Factory for storage of refuse waters,

(c) whether it is a fact that the land proposed to be acquired for the Pachrukhi Alcohol Factory is very fertile and has been actually very productive under the plough,

(d) whether it is a fact that there is a fairly big plot of waste land (with the remains of an old brick kiln) belonging to the factory just adjacent to the said factory, a part whereof has been holding the extra refuse water thereof and which (i) all with a small plot of Nala (law) land belonging to the villegers of Jasauli and (ii) with the lew lands of the Jurihata village lying just south of the factory is capable of holding the entire refuse water of the distillery with comparatively less compeuation to be payable by the factory and less loss of food producing lands of the people of Jasauli,

(e) if the an wers to clauses (c) and (d) be in the affirmative whether Government propose to consider the desirabitity of reviewing the position in the light of suggestion implied in clauses (c) and (d) above and dropping the present proposals of land acquisition and of rescuing the people of the neighbouring village Jasauti from as much of the impending loss as may be possible in the circumstances ?

श्री सुखलाल सिंह:—

(क) पचरुखी स्थित पावर अल्कोहल डिस्टिलरी ने अभीतक पावर अल्कोहल बनाना आरंभ नहीं किया है। अतएव तुलनात्मक उत्पादन के आंकड़ों का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) २७.७ एकड़ (हथुआ वाली डिस्टिलरी के लिये) तथा १५.२६ एकड़ (पचरुखी वाली डिस्टिलरी के लिये)।

(ग) जो जमीन ली जानेवाली है, तथा जिसे लेने के लिये माननीय सदस्य का सुझाव है, दोनों प्रायः एक ही तरह उपजाऊ हैं।

(घ) वस्तः उस परती जमीन का (जहां ईंट के एक भट्ठे का अवरोध है) अधिक क्षेत्रफल नहीं है। वह केवल ५.२१ एकड़ है। साथ ही यह बात नहीं है कि चीनी के कारखाने का कुल गंदा पानी उस परती जमीन के केवल थोड़े से हिस्से में जमा रहता है। वास्तविकता यह है कि वह समूची जमीन गंदे पानी से भरी रहती है और कभी कभी अतिरिक्त पानी इधर उधर बहने लगता है। तथा कथित नाला अब नाला नहीं रह गया है। अब यह कई किसानों के अधिकार में आ गया है और उसमें वे धन उपजाते हैं। इसको भी उपज वैसी ही है जैसी ली जाने वाली प्रस्तावित जमीन की है। इसलिये चीनी कारखाने के दक्खिन परती जमीन से सटी हुई जमीन लेने से अथवा प्रस्तावानुसार उत्तर पूरब की ओर की जमीन लेने में वस्तुत कोई अंतर नहीं पड़ता। वरना, यदि परती जमीन के दक्खिन जमीन ली जायगी तो अधिक क्षेत्रफल की जमीन लेनी पड़ेगी। स्थिति यह है कि परती जमीन के उत्तर कुछ दूरी पर चीनीकार खाने की ८.६४ एकड़ अपनी जमीन है। इस जमीन और इस परती जमीन के बीच की १५.२६ एकड़ जमीन लेकर कारखाने के मालिक को ८.६४ एकड़ जमीन बेकार छोड़ देना पड़ेगा तो उन्हें १५.२६ एकड़ जमीन के बजाय २४.२० एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार कर लिया जाय तो अधिक उपजाऊ जमीन की हानि होगी।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।